

संख्या १११/२५ / यू०४स०आ०४०ए०४०५० / ग्रामीणी० / २०१३

प्रेषक,

सचिव,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड

समस्त परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

ग्राम्य विकास विभाग:

देहरादून:

दिनांक: १८ दिसम्बर, 2013

सेवा में

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका भिशन के प्रथम वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार संस्थागत एवं कौशल विकास हेतु आंतरिक सी०आ०पी० का चयन किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु एस०जी०एस०वाई० के माध्यम से गठित क्रियाशील महिला स्वयं सहायता समूहों IFAD/अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं/नावार्ड/SRTT आदि की अनुभवी महिलाओं को चयन कर उनका प्रशिक्षण करते हुये उन्हें सी०आ०पी० के रूप में तैयार किया जाना है, जिनके द्वारा सघन विकासखण्डों में स्वयं सहायता समूहों का संस्थागत एवं कौशल विकास किया जायेगा। इन महिलाओं का चयन क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों तथा उनके फैडरेशनों से किया जा सकता है। सी०आ०पी० चयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं—

- सी०आ०पी० के रूप में चयनित महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए, जो कि
 - वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।
 - वह गरीब परिवार से हो।
 - वह पांच वर्ष से अधिक के अच्छी गुणवत्ता युक्त स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य हो।
 - वह 2 वर्ष से अधिक समयवाले सफल स्वयं सहायता समूह /फैडरेशन की सदस्य हो।
 - उनके द्वारा सनूह में कम से कम 5 बार ऋण का आपसी लेन-देन किया गया हो।
 - वह स्वयं में सम्बन्धित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास वाली हो।
- उनके पास अच्छी अभिव्यक्ति की क्षमता तथा प्रेरक कौशल होना चाहिए।
- उनके पास आवश्यक लिखने-पढ़ने का तथा गणितीय ज्ञान होना चाहिए।
- उसके परिवार द्वारा सी०आ०पी० के क्रियाकलाप हेतु लिखित सहमति दी जानी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में उपरोक्त मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में गठित गुणवत्तायुक्त क्रियाशील महिला स्वयं सहायता समूह अथवा उनके फैडरेशन से सी०आ०पी० हेतु योग्य महिलाओं का चयन विकास खण्ड स्तर पर सहायक परियोजना निदेशक (जिला भिशन प्रबन्धक) की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाय तथा 31 दिसम्बर 2013 तक उक्त समिति के अनुरूप CRP का चयन करते हुये उक्त सूची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०आ०एल०एम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(विनोद फोनिया)
सचिव
९c

प्रातिक्रिया: भिमालिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- परियोजना निदेशक, समेकित आजीविका सहायतात परियोजना (ILSP) बसन्त विहार, देहरादून।
- अधिकारी निदेशक, हिमालयन (SRTT) बसन्त विहार, देहरादून।
- प्रधान महानियन्धक, नावार्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भवदीय
(विनोद फोनिया)
सचिव
९c